



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 26.09.2024

यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान बिना फिटनेस चल रहे 07 स्कूली वाहनों पर की गयी कार्यवाही ।

कार्यवाही विवरण-

जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा जनपद में बिना फिटनेस चल रहे स्कूली वाहनों की चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे 07 स्कूली वाहनों पर विधिक कार्यवाही की गयी तथा यातायात नियमों के तहत कुल 40,000/- रुपये का शमन शुल्क वसूला गया ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 26.09.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने चोरी की 02 घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 शातिर चोरों को चोरी किये गये बिजली के केबिल/तार व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.09.2024 को वादी श्री देवेन्द्र पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम पिलाना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 02.09.2024 की रात को वादी की ट्यूबवैल से स्टार्टर व केबल चोरी हो गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 137/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 25.09.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम चक फतेहपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि वादी NCCL में पंजीकृत ठेकेदार है । वादी का ग्राम अजुपुरा में बिजली की लाइन बनाने का काम चल रहा है, जिस कारण ग्राम अजुपुरा में बिजली के केबल का आधा ड्रम पडा था, जिसमें 250 मीटर (करीब 04 कुंटल) तार को दिनांक 24/25.09.2024 की रातत्रि में अज्ञात चोर चोरी करके ले गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 142/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

दिनांक 26.05.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा रावटी भट्टा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन महिन्द्रा सुपरो रजि0 UP36T5661 को रुकने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक ने वाहन को नहीं रोका नहीं गया तो पुलिस टीम द्वारा छाछरी मोड के पास बैरियर बैरियर लगाकर वाहन को रोककर पकड लिया गया एवं वाहन में बैठे अभियुक्त 1.अनमोल पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम शादीपुर कला उर्फ मिलकपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2.जावेद पुत्र कय्यूम 3.वसीम पुत्र नसीम निवासीगण ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । गाडी की तलाशी लेने पर गाडी मे पीछे रखे 04 प्लास्टिक के कट्टो मे बिजली का एल्युमिनियम का तार, 03 केबिल के बन्डल व एक तार कटर बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दिन में घूमकर रेकी करते हैं तथा रात में अपने साथियों के साथ मिलकर नई बिजली की बन रही लाईनो के खम्भो से बिजली के तार व केबिल चोरी करते हैं और इसी गाडी महिन्द्रा सुपरो रजि0नं0 UP36T5661 में चोरी किये हुए बिजली के तारों एवं केबिलों को लादकर ले जाते हैं तथा अलग-अलग जगहों पर बेच देते हैं। बीती रात हमने अजुपुरा जट गांव से नई बन रही बिजली की लाईन के लिए रखे तार व केबिल चोरी किये थे, जिन्हे हम आज लेकर बेचने के लिए जा रहे थे। इस घटना में हमारे साथ हमारा एक साथी विशाल पुत्र रणपत निवासी ग्राम मिर्जापुर खादर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर भी शामिल था। हम चारों ने मिलकर ही ग्राम अजुपुरा से ये तार व केबिल चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.अनमोल पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम शादीपुर कला उर्फ मिलकपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.जावेद पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.वसीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

04 प्लास्टिक के कट्टो में बिजली का एल्युमिनियम का तार, 03 केबिल के बन्डल व एक तार कटर गाडी महिन्द्रा सुपरो रजि0नं0 UP36T5661

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 142/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम उपरोक्त सभी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 137/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम उपरोक्त सभी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 06/2017 धारा 147/323/354क भादवि बनाम जावेद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 236/23 धारा 379/411 भादवि बनाम वसीम थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 236/23 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 व ¾ मु0महिला अधि0 बनाम वसीम थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती पुष्पा देवी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 4.उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 5.कां0 716 देवकरन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 6.कां0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 7.कां0 1980 फैय्याज थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 8.कां0 1960 शिवशंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 9.कां0 1754 अजय कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक 26.09.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने तीन वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. छेला हुसैन पुत्र हसमत हुसैन निवासी ग्राम शाहापुर मजरा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद 2. फिरोज पुत्र इस्लाम निवासी शरीफनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद व 3. अन्जू कुमार पुत्र बट्टू सिंह निवासी ग्राम उमरपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. छेला हुसैन पुत्र हसमत हुसैन निवासी ग्राम शाहापुर मजरा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
2. फिरोज पुत्र इस्लाम निवासी शरीफनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
3. अन्जू कुमार पुत्र बट्टू सिंह निवासी ग्राम उमरपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंहनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 शिवा थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना बढापुर

दिनांक 26.09.2024

थाना बढापुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना बढापुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर वारंटी अभियुक्त आरिफ पुत्र नजीर निवासी ग्राम तारापुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र नजीर निवासी ग्राम तारापुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर । (हिस्ट्रीशीटर सं० – 44ए)

आपराधिक इतिहास आरिफ उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०सं० 90/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 101/20219 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 172/20219 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 4.मु०अ०सं० 173/20219 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० सिनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी जितेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 2596 सूरज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 26.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 762/23 धारा 323/306/504/506 भादवि में वांछित 02

अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.10.2023 को वादिनी श्रीमती कौशल पत्नी श्री सन्तराम निवासी ग्राम केलनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह 2.सतेन्द्र पुत्र नरेन्द्र 3.अरविन्द पुत्र नरेन्द्र 4.पुखराज पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम बागड़पुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध वादिनी द्वारा खरीदे गये आवासीय प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा करने एवं डरा धमकाकर वादिनी के पुत्र मनीष शर्मा की हत्या कर देने व वादिनी के पति के साथ तहसील चांदपुर में गाली-गलौच एवं लात घूसों से मारपीट करते हुए वादिनी के पति की जेब से पाँच हजार रुपये निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 762/23 धारा 302/392/323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से धारा 302/392 भादवि का लोप कर धारा 306 भादवि की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.नरेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह 2.सतेन्द्र पुत्र नरेन्द्र निवासीगण बागड़पुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नरेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह निवासी बागड़पुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.सतेन्द्र पुत्र नरेन्द्र निवासी बागड़पुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह मेहरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. म0कां0 224 गुंजन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक- 26.09.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 269/24 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस0 व 3/4
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.09.24 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. अभिषेक पुत्र सुरेश निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 2. विशाल पुत्र सुरेश निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसला कर ले गए । तहरीर के आधार थाना हल्दौर मु0अ0सं0 269/2024 धारा 137(2)बीएनएस0 पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विशाल उपरोक्त की नामजदगी झूठी पायी गयी तथा अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी । दिनांक 23.09.2024 को पुलिस द्वारा अपहर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुरेश निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभिषेक पुत्र सुरेश निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 अन्नु कुमारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 262 अंकुर जावला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3.का0 628 आशीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 26.09.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 271/2024 धारा 65(1) / 333 बीएनएस व धारा 3 / 4
पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.09.2024 को वादिनी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि दिनांक 20.09.2024 को फईम पुत्र आमिर हुसैन ने वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की मूकबधिर पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 271/24 धारा 65(1) / 333 बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम फईम उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.09.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त फईम पुत्र आमिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1297 अनुज ढाका थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1591 प्रदीप थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4.कां0 274 यशपाल सिंह थाना नगीना बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 26.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने 04 अभियुक्तों को चोरी किये गये घरेलू सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.09.2024 को वादी श्री कक्कू पुत्र समरपाल निवासी ग्राम बमनौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी की पूरा परिवार बाहर रहता है । दिनांक 23.09.2024 को वादी ने घर आकर देखा तो घर के सारे ताले टूटे पड़े है तथा घर का सभी सामान वाशिंग मशीन, L.C.D, कपडे से भरा सन्दूक, तीन बोरे बर्तन, एक बडा सिलेन्डर व 04 छोटे सिलेण्डर एवं प्रेस आदि अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 502/2024 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त 1.सोनू पुत्र हरिया 2.मोनू पुत्र राजबीर 3.संजय पुत्र रतिराम निवासीगण ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 4.सतपाल पुत्र नौसिंह निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया, जिन्हे आज दिनांक 26.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी एक वॉशिंग मशीन, एल.सी.डी., बक्शा, सिलेण्डर, मिक्सी आदि व 03 बोरे बर्तन (स्टील/पीतल) व अन्य घरेलू सामान बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.सोनू पुत्र हरिया निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.मोनू पुत्र राजबीर निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.संजय पुत्र रतिराम निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4.सतपाल पुत्र नौसिंह निवासी ग्राम बीबीपुरा बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक वॉशिंग मशीन, एल0सी0डी, बक्शा, सिलेण्डर, मिक्सी
03 बोरे बर्तन स्टील व पीतल व कम्बल घरेलू सामान आदि

अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 819/19 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 111/21 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 588/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 141/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 502/24 धारा 305(1)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 505 मंजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 1221 आशिष कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 1905 जगदीश सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक- 26.09.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त मलकित सिंह पुत्र रंगा सिंह नि० ग्राम भोगपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु०अ०सं० 310/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मलकित सिंह पुत्र रंगा सिंह नि० ग्राम भोगपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. का० 2335 विजय कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2. का० 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

